मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

 **राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 27**

22.11.2011 को उत्तर के लिए

**''गंगा कार्य योजना''**

**27. श्री प्रभात झा :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 'गंगा कार्य योजना' नामक कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय और तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना से संबंधित अनियमितता का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क)से(ग) गंगा कार्य योजना (जीएपी) चरण-। 1985 में शुरू तथा मार्च, 2000 में पूर्ण की गई थी । कार्यक्रम का चरण-।।, 1993 से चरणों में अनुमोदित किया गया और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है । इसमें गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां नामश: यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा शामिल हैं ।

 योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों में अशोधित मलजल का अंतरावरोधन और अपवर्तन, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत स्वच्छता सुविधाओं का सृजन, विद्युत/विकसित काष्ठ शवदाहगृह स्थापित करना और नदी मुहानों का विकास शामिल है । गंगा कार्य योजना के तहत अब तक प्रतिदिन 1091 मिलियन लीटर की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है ।

 प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा की गई स्वतंत्र मॉनीटरी के आधार पर, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि और नदी किनारों बसे शहरों में बढ़ते प्रदूषण के बावजूद, प्री-गैप जल गुणवत्ता की तुलना में, बीओडी मूल्यों के अनुसार जल गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है । हालांकि फीकल कोलिफार्म के अनुसार जीवाणु संदूषण के स्तरों में कई स्थानों पर अधिकतम अनुमत सीमा में वृद्धि दर्ज की गई ।

 फरवरी, 2009 में केन्द्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अंगीकार करते हुए गंगा नदी के संरक्षण हेतु एक सशक्त प्राधिकरण के रूप में एक राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया । एनजीआरबीए के तहत 2589 करोड़ रू0 की धनराशि वाली परियोजनाएं की गर्इं हैं । अप्रैल, 2011 में 7000 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना मंजूर की गई ।

 विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों के कार्यान्वयन में 226.29 करोड़ रू0 का व्यय किया गया है ।

(घ)से(ड.) 1993 से 2000 तक गंगा कार्य योजना की समीक्षा पर भारत के महा लेखा-परीक्षक एवं नियंत्रक की मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट (2000 का संख्य 5ए) में, कार्यों के निष्पादन में विलंब, जल गुणवत्ता मॉनीटरी में रूकावट, अन्यों के साथ-साथ राज्यों में कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित सम्पत्तियों के खराब संचालन और रख-रखाव (ओएंडएम) से संबंधित टिप्पणियाँ निहित है । टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदान करने के सांविधिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के साथ-साथ सरकार ने कार्यान्वयन और निष्पादन में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय भी किए हैं । इन उपायों में स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से जल गुणवत्ता की मॉनीटरी का सुदृढ़ीकरण और परियोजनाओं की मंजूरी से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विस्तृत प्रचालन एवं रख-रखाव योजना का अनुरोध प्रस्तुत करने की अपेक्षा शामिल है ।

अन्य कई उपायों में (i) राज्यों में, राज्य स्तरीय सशक्त राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरणों (एसआरसीए) और पांच गंगा राज्यों समर्पित कार्यान्वयन संस्थानों का गठन, (ii) राज्य सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओएएस) पर हस्ताक्षर करना, (iii) प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का स्वतंत्र मूल्यांकन, (iv) गंगा नदी में बहिस्राव का निस्तारण कर रही औद्योगिक ईकाईयों का निरीक्षण और मॉनीटरी करने हेतु सीपीसीबी में एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करना शामिल है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*